

# प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-30.09.2024

---

## थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा हत्या के वांछित आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 409/24 धारा 103(1) बी.एन.एस थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली में वांछित अभियुक्त राज जायसवाल पुत्र भानु जायसवाल निवासी 40 फिटा रोड थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली को शनि मंदिर कस्बा मुगलसराय के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को नियमानुसार हिरासत पुलिस में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### नाम पता अभियुक्त-

1.राज जायसवाल पुत्र भानु जायसवाल निवासी 40 फिटा रोड थाना मुगलसराय चन्दौली उम्र 19 वर्ष

### आपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0 409/24 धारा 103(1) बी.एन.एस

**थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा 07 मैजिक से क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाये जा रहे कुल 08 राशि गोवंश के साथ 07 तस्करों को किया गया गिरफ्तार-**

अलीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 29.09.2024 को सिंधीताली ओवर ब्रीज के पास चेकिंग के दौरान बाद 07 मैजिक वाहन से कुल 07 राशि गाय व 01 राशि बछिया बरामद कर तस्करी में शामिल 07 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 249/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**वाहन समेत अभियुक्तगणों का नाम पता, बरामदगी व अपराधिक इतिहास का विवरण-**

**1.अभियुक्त का नाम-**

विजय यादव पुत्र दयालु यादव निवासी ग्राम छेमिया थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र करीब 29 वर्ष

**बरामदगी का विवरण-**

वाहन संख्या यू0पी0 65 GT 4778 मैजिक एसीई पर लदा 01 राशि गाय बरामद

**अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-**

मु0अ0सं0-161/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 411/413 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

मु0अ0सं0-249/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

**2.अभियुक्त का नाम-**

रवि कुमार जायसवाल पुत्र विनोद जायसवाल निवासी कोरौत थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

वाहन संख्या यू0पी0 65 KT 5432 मैजिक सुपर कैरी पर लदा 01 राशि गाय

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-249/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

3.अभियुक्त का नाम-

अखिलेश कुमार यादव पुत्र सियाराम यादव निवासी ग्राम महुअर कला थाना बलुवा जनपद चन्दौली उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

वाहन संख्या यू0पी0 65 MT 0453 मैजिक गोल्ड प्लस पर 01 राशि गाय व एक राशि बछड़ा

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-249/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

4.अभियुक्त का नाम-

पीयूष गुप्ता पुत्र अनिल कुमार गुप्ता निवासी डोमनपुर थाना कछवा जिला मिर्जापुर उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी-

वाहन संख्या यू0पी0 65 HT 6292 मैजिक गोल्ड पर 01 राशि गाय बरामद किया गया ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-249/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

5.अभियुक्त का नाम-

राज केशरी पुत्र रामलाल केशरी निवासी पाहों मुकुन्दपुर थान कछवा जिला मिर्जापुर उम्र करीब 23 वर्ष  
बरामदगी का विवरण-

वाहन संख्या यू0पी0 65 HT 1198 मैजिक ACE पर 01 राशि गाय बरामद किया गया ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-249/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

6.अभियुक्त का नाम-

भरत सिंह पुत्र नन्दलाल सिंह निवासी ग्राम विशुपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र करीब 50 वर्ष  
बरामदगी का विवरण-

वाहन संख्या यू0पी0 65 AT 8094 मैजिक AC-HT पर 01 राशि गाय बरामद किया गया ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-249/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

## 7.अभियुक्त का नाम पता-

रंजीत कुमार पुत्र रामभवन राम निवासी ग्राम सिसुआपार थाना सादात जिला गाजीपुर उम्र करीब 28 वर्ष  
बरामदगी का विवरण-

वाहन संख्या यू0पी0 70 CT 6510 मैजिक पर 01 राशि गाय बरामद किया गया ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-249/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण  
अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

## **थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा आवेदक की फ़ाड धनराशि-86600/- रुपये करायी गयी वापस-**

साइबर क्राइम थाना द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही के चलते आवेदक दिग्विजयनाथ सिंह पुत्र भानु प्रताप सिंह निवासी भोजपुर थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली का फ़ाड तरीके से 86600/- रुपये की आनलाइन धोखाधडी की गयी थी. जिसके सम्बन्ध में दिग्विजयनाथ सिंह उपरोक्त द्वारा श्रीमान थानाध्यक्ष के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। इसी क्रम में थाना साइबर क्राइम जनपद चन्दौली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आवेदक के खाते से निकाली गयी धनराशि 86600/- रुपये को आवेदक के खातों में वापस करायी गयी। आवेदक दिग्विजयनाथ सिंह उपरोक्त द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस उपाधीक्षक थाना साइबर क्राइम, साइबर थानाध्यक्ष एवं साइबर क्राइम टीम जनपद चन्दौली का आभार व्यक्त किया।

### **आवेदक का नाम/पता-**

1. दिग्विजयनाथ सिंह पुत्र भानु प्रताप सिंह निवासी भोजपुर थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

**वापस करायी गयी धनराशि रुपया – 86600/-**